मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र.13944 /22/वि–12/ग्रासप्रा/22 भोपाल, दिनांक 4/09/2022

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई ....,
जिला–........................ (म.प्र.)

विषयः–अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गो एवं पुल–पुलियों के तत्कालिक संधारण हेतु व्यवस्था बावत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. 11705 दिनांक 30/08/2022।

––0––

प्रायः देखा जा रहा है कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग के सुधार कार्यों के स्वीकृति से संबंधित प्रकरण काफी विलंब से अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है। कई पीआईयू द्वारा वर्ष 2020/2021 में हुई अतिवृष्टि के सुधार कार्यों के प्रकरण अभी प्रस्तुत किये गये है। यह प्रक्रिया सही नही है। संदर्भित पत्र से अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल–पुलियों के संधारण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण आपकी ओर प्रेषित किया गया है। निर्धारित की गई प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार समय–सीमा तय की जा रही है–

स. क्र	**की जाने वाली कार्यवाही**	**समय–सीमा**
1	अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में स्थानीय प्रशासन एवं मुख्यालय को सूचित किया जाना एवं Google sheet में जानकारी की प्रविष्टि किया जाना	24–48 घंटे के अंतर्गत
2	क्षतिग्रस्त कार्यस्थल का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक द्वारा एवं बाधित आवागमन को संचालित करने की तत्कालिक व्यवस्था	क्षति दिनांक से 7 दिवस के अंतर्गत
3	क्षतिग्रस्त कार्यस्थल के फोटोग्राफ के साथ क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एवं सुचारू आवागमन हेतु सुधार कार्य का प्राक्कलन तैयार करना	क्षति दिनांक से 7 दिवस के अंतर्गत
4	उपरोक्त प्राक्कलन सुसंगत दस्तावेज़ों सहित मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में	क्षति दिनांक से 10 दिवस के अंतर्गत प्रस्तुत करना
5	मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करना एवं प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किया जाना	महाप्रबंधक से प्रकरण प्राप्ति के 7 दिवस के अंतर्गत
6	आवश्यकतानुसार यदि प्रकरण मुख्यालय स्तर से निराकृत किया जाना है तो मुख्य महाप्रबंधक स्वयं के अभिमत एवं	महाप्रबंधक से प्रकरण प्राप्ति के 10 दिवस के अंतर्गत

स.क्र	की जाने वाली कार्यवाही	समय–सीमा
	अनुशंसा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के सहित सभी आवश्यक अभिलेखों के सहित प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किया जाना	
7	मुख्यालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण एवं रू. 10 लाख से अधिक की लागत के कार्यों का तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण	मुख्य महाप्रबंधक से प्रकरण प्राप्ति के 10 दिवस के अंतर्गत
8	मुख्यालय स्तर पर तकनीकी समिति के प्रस्तुतीकरण के पश्चात कार्यवाही विवरण तैयार कर समिति का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना	प्रस्तुतीकण के दिनांक से 15 दिवस के अंदर
9	मुख्यालय स्तर पर अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति आदेश जारी करना एवं निविदा आमंत्रण से संबंधी कार्यवाही	अनुमोदन के पश्चात 7 दिवस के अंतर्गत

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में सभी स्तर पर उपरोक्त समय–सीमा का कडाई से पालन किया जावेगा। ध्यान रखें कि, संदर्भित आदेश में उल्लेखित समस्त अभिलेख सुस्पष्ट प्रकरण के साथ संलग्न कर मुख्य महाप्रबंधक के माध्यम से ही प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जाएगें। अपरिहार्य स्थिति एवं विलंब के लिए पर्याप्त कारण होने की स्थिति को छोड़कर समय–सीमा के उल्लंघन होने पर संबंधितों के विरूद्व उत्तदायित्व तय कर कार्यवाही की जावेगी।

(तन्वी सुन्द्रियाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र. 13945 /22/वि–12/ग्रासप्रा/22 — भोपाल, दिनांक 4/09/2022 (10)

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य महाप्रबंक वित्त, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी (संधारण/PMGSY), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

D:\SUMITRA 2022\Special Repair\Special repair letter 2022.docx